सेवा-करार AGREEMENT OF SERVICE

~ ~

यह करार 20 के महाने को तारखि को
में, बैंक अधिकारी कम्पनी ;उपक्रमों का अर्जन और अंतरणद्ध अधिनियम 1970 के
अंतर्गत गठित निगमित निकाय पंजाब नैशनल बैंक जिसका कॉपॉरेट कार्यालय प्लॉट सं.4, सेक्टर 10, द्वारका, नई
दिल्ली में है और जिसे इसमें आगे प्रथम पक्षकार के रूप में "बैंक" कहा गया है तथा श्री
जोके निवासी हैं और जिसकी पहचान का विवरण तथा फोटो संलग्न
पहचान-फार्म में दिये गये हैं तथा जिन्हें इस कारार में इसके बाद द्वितीय पक्षकार के रूप में कर्मचारी कहा गया है,
के बीच निष्पादित किया गया है।
THIS AGREEMENT MADE AT
this day of 20 between
Punjab National bank; a body corporate constituted under Banking Companies (Acquisition and
transfer or undertaking) Act 1970, having its Corporate Office at Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delh
hereinafter referred to as the 'Bank' of the first part and Shri
son of Shri
resident of
particulars of whose identity and photograph are given in the identity form attached hereto
(hereinafter called the employee) of the second part.
कर्मचारी के आवेदन पर, बैंक, कर्मचारी को
इसमें इसके बाद वर्णित शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार तथा बैंक के सेवा-सम्बन्धी सामान्य नियमों एवं विनियमों के
अधीन नौकरी में लेने के लिए सहमत हो गया है।

WHEREAS on the application of the employee the Bank has agreed to take the employee ______ into its service on the terms and conditions hereinafter mentioned and subject to the general service rules and regulations of the Bank.

अत: यह करार इस प्रकार का साक्षी है कि : Now, this agreement witnesseth as under :

1. प्रारम्भ/COMMENCEMENT :

यह करार इस पर दी गयी तारीख से अथवा कर्मचारी द्वारा कार्यभार ड्यूटी ग्रहण करने की तारीख से, इसमें से जो भी पहले हो, लागू होगा और तब तक लागू रहेगा जब तक इसे विधिवत् समाप्त न कर दिया जाये।

This agreement shall commence from the date hereof or the date on which the employee assumes charge of his duties whichever is earlier, and shall remain in force until it is duly terminated.

2. पारिश्रमिक/REMUNERATION :

कर्मचारी को बैंक द्वारा सामान्यत: अथवा विशिष्टत: उस के लिये समय-समय पर निर्धारित वेतन और भत्ते मिलेंगे।

The employee will recieve such salary and allowances as may be fixed for him from time to time by the Bank generally or specifically.

However, the employee agrees that in cases where any excess payment made to him/her that may be found to have been made , as a result of incorrect fixation of pay or any excess payment in salary, which employee is not otherwise entitled to, will be refunded to the Bank

without any demur. The Bank has the right to make recovery of the excess payment so made either by adjustment against future salary/ payments due to employee or otherwise, as decided by the Bank.

"हालांकि, कर्मचारी इस बात से सहमत है कि ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी को वेतन के गलत निर्धारण या वेतन में कुछ अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है जिसका कर्मचारी हकदार नहीं है, तो उसे बिना किसी आपत्ति के बैंक को वापस कर दिया जाएगा। बैंक के पास यह अधिकार है कि वे कर्मचारी या अन्य होने के कारण भविष्य में आने वाले वेतन/ भुगतानों के विरुद्ध पूर्व में किए गए अतिरिक्त भुगतानों को समायोजित कर वसूली कर सकता है, जैसा भी बैंक द्वारा निर्णय लिया गया हो"।

- 3. ड्यूटी∕DUTIES :
 - क कर्मचारी बैंक द्वारा निर्धारित कार्य-समय के दौरान नियमित रूप से बैंक में उपस्थित रहेगा तथा उसे जो कार्य सौंपे जायेंगे उन्हें निष्ठा तथा ईमानदारी से करेगा। साथ ही जब कभी उससे वरिष्ठ अधिकारी उसे कार्य-समय के अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए कहेंगे तो वह उस समय भी कार्य करने के लिए सहमत हैं।
- (a) The employee will attend office regularly during the working hours as fixed by the Bank and perform the duties entrusted to him faithfully and honestly. He further agrees to work outside the working hours whenever called upon to do so by his superior officers.
- ख बैंक को, कर्मचारी को ऐसा कोई भी कार्य सौंपने का अधिकार होगा जिसके लिए वह उसे योग्य और सक्षम समझें। बैंक को, कर्मचारी को बैंक की किसी भी शाखा में स्थानांतरित करने अथवा उसे किसी ऐसे अन्य स्थान पर भेजने का अधिकार होगा जहां बैंक के कारोबार में उसकी सेवाओं की आवश्यक्ता हो।
- (b) The Bank shall have the right to allot any duties to the employee for which he may be considered fit and competent and shall have the right to transfer him to any branch of the Bank or to sent him to any other place, where the business of the Bank may need his services.
- ग कर्मचारी न तो इन करार के अधीन अपनी नौकरी के जारी रहते और न ही उसके बाद, केवल ऐसे मामले को छोड़कर जहां ड्यूटी के संबंध में ऐसा करना पड़े, किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी प्रकट नहीं करेगा और इस करार के अधीन नौकरी के फलस्वरूप बैंक के किसी भी ग्राहक कार्य प्रति, व्यावसायिक लेन-देन अथवा कार्य-कलापों अथवा किसी अन्य मामले में उसे जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके प्रकाशन अथवा प्रकटीकरण को रोकने का भरसक प्रयास करेगा।
- (c) The employee shall not, either during the continuance of his employment hereunder, or thereafter, except in the course of his duties as such employee, divulge to any person whatsoever, and shall use his best endeavour to prevent the publication or disclosure of any information as to the practices, business dealings or affairs of any of its customers with the Bank or any other matter which may come to his knowledge by reason of his employment under this agreement.
- घ कर्मचारी अपना सारा समय, ध्यान, कुशलता इत्यादि बैंक के कारोबार में लगायेगा तथा अपने से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अथवा दिये गये सभी आदेशों का पूरी तरह से पालन करेगा तथा बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों एवं बनाये गये विनियमों के अनुसार कार्य करेगा तथा उनका पालन करेगा और परिश्रम तथा निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हितों को बढाने के अधिक से अधिक प्रयास करेगा।
- (d) That the employees shall devote the whole of his time, attention and abilities, etc. to us the business of the Bank and shall obey all orders issued from time to time or given to him by his superior officers in all respects, and conform to and comply with the direction give and regulations made by the Bank and shall diligently and faithfully serve the Bank and use his utmost endeavour to promote its interests.

- ङ कर्मचारी बैंक का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और जब तक वह बैंक में किसी भी पद पर रहता है, तब तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई और नौकरी, व्यापार-व्यवसाय अथवा किसी भी तरह की सट्टेबाजी नहीं करेगा।
- (e) That the employees shall be a wholetime servant of the Bank and shall not, so long he holds any appointment in the Bank, engage either directly or indirectly in any employment, business, trade or speculation of any kind.
- 4. सेवा समाप्ति / TERMINATION :
 - क कर्मचारी को, बैंक को एक महीने का नोटिस देकर नौकरी से त्यागपत्र देने का अधिकार होगा, परन्तु यदि कर्मचारी ऐसा नोटिस दिये बिना नौकरी छोड़ता है तो बैंक उसके एक महीने के वेतन के बराबर की रकम जब्त कर लेगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा बिना नोटिस दिये नौकरी छोड़ने के कारण यदि बैंक को क्षति अथवा हानि होती है तो उस क्षति अथवा हानि को भी उस कर्मचारी को पूरा करना होगा।
 - (a) The employee will be entitled to resign from the service on giving one month's notice to the Bank, but if the employee quits service without giving such notice, he shall forfeit an amount equal to one month's pay, and shall also in addition be liable for any loss or damage that the Bank may suffer on account of his quitting service without notice.
 - ख बैंक को, कर्मचारी को एक महीने का नोटिस देकर नौकरी से निकाल देने का अधिकार होगा और यदि बैंक उसे ऐसा नोटिस दिये बिना ही निकाल देता है, तो ऐसे नोटिस के बदले कर्मचारी एक महीने का मूल-पद वेतन पाने का हकदार होगा।
 - (b) The Bank will be entitled to dispense with the employee's services on giving one month's notice and if the Bank dispenses with the services of the employee without such notice, the employee will be entitled in lieu thereof to one month's substantive salary payable to him.
 - ग यदि कोई कर्मचारी अपनी छुट्टी मंजूर कराये बिना कार्यालय से अनुपस्थित रहता है अथवा बैंक के मामले में आदतन समय-पाबन्द नहीं रहता अथवा अपने कार्य में लापरवाही बरतता है अथवा बैंक के प्रति अवचार या बेईमानी या दोषी पाया जाता है और इस कारार की किन्हीं भी शर्तों व निबन्धनों को तोड़ता है तो बैंक को बिना नोटिस और नोटिस के बदले बिना कोई वेतन दिये उसकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार होगा।
 - (c) If an employee remains absent from duty without getting his leaves sanctioned or is habitually unpunctual in attendance or is negligent in the performance of his duties or is guilty of misconduct or dishonesty to the Bank and commits breach of any of the terms and conditions this agreement, the Bank shall have the right to terminate his service without notice and without paying him any salary in lieu thereof.
 - घ उपर्युक्त उप खण्ड ;गद्ध में वर्णित सभी मामलों में महाप्रबंधक अथवा सविच क्षेत्रेय प्रधान प्रभारी अथवा इस प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम तथा कर्मचारी पर बंधनकारी होगा और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया जायेगा।
 - (d) The decision of the General Manager or the Secretary or the Regional Head Incharge or other competent authority appointed by the Bank for the purpose, shall on any matter mentioned in sub-clause (c) above, be conclusive and binding on the employee and shall not be questioned by him.

5. छुट्टी आदि / LEAVE ETC. :

कर्मचारी वचन देता है कि वह पदोन्नति, स्थानान्तरण, यात्र तथा अन्य भत्तों, छुट्टी, प्रतिभूति, भविष्य निधि आदि सहित, सभी मामलों में समय-समय पर लागू सभी नियमों तथा विनियमों से आब होगा। The employment undertakes to be bound by all rules and regulations in force from time to time in all matters including promotion, transfer, travelling and other allowances, leave, security, Provident Fund etc.

6. प्रतिभूति ∕ SECURITY :

- क इस करार के ठीक प्रकार से पालन के लिए तथा कर्मचारी की लापरवाही, अवचार, कपट अथवा इस करार की किसी शर्त के उल्लंघन के कारण बैंक को हुई हानि की पूति के लिए, कर्मचारी ऐसी प्रतिभूति देगा जो निदेशक मंडल अथवा महाप्रबंधक अथवा सचिव अथवा इस संबंध में बैंक द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये।
- (a) The employee shall give such security as the Board of Directors of the General Manager or the Secretary or any other competent authority of the Bank appointed in this behalf may determine from time to time, for due performance of this agreement and for recoupment of any loss caused to the Bank due to his negligence. Misconduct, fraud or violation of any terms of this agreement.
- ख कर्मचारी द्वारा दी गई प्रतिभूति तथा वेतन सहित उसकी सभी बकाया रकमों पर सबसे पहले बैंक का ग्रहणाधिकार होगा तथा कर्मचारी के कपट, लापरवाही अथवा अवचार के कारण बैंक को जो भी हानि होगी। उस सब की वसूली करने का बैंक को अधिकार होगा।
- (b) That the Bank shall have a first lien on all dues of the employee including his security as well as salary and the Bank shall have the right to recover all losses suffered by it through fraud, negligence or misconduct of the employee from such dues.
- ग कर्मचारी द्वारा बैंक को दी गई प्रतिभूति तब तक बैंक के नियंत्र्या में रहेगी जब तक कर्मचारी बैंक की नौकरी में रहता है और जब तक कर्मचारी द्वारा इस करार की किन्हीं भी शर्तों और निबन्धनों को भंग किये जाने के कारण बैंक को हुई हानि अथवा क्षति से संबंधित सभी दावों का, यदि कोई हो, निपटान नहीं हो जाता।
- (c) The security given by the employee shall remain under the control of the Bank during the entire period of service of the employee with the Bank till the settlement of all claims of Bank for loss or damage, if any, caused on account of breach of any of the terms and conditions of the agreement by the employee.
- घ उपर्युक्त खण्डों ;खद्ध और ;गद्ध में सुरक्षित बैंक के अधिकार के अधीन, कर्मचारी से ली गई प्रतिभूति उसकी सेवा-समाप्ति के 90 दिन बाद उसे वापस देय हो जायेगी।
- (d) Subject to the right of the Bank reserved under clause (b) and (c) above the security held shall become refundable to the employee on the expiry of 90 days after termination of his service.
- ड यदि कर्मचारी द्वारा इस करार की किसी शर्त का पालन न किये जाने अथवा किसी अन्य कार्रवाही अथवा चूक अथवा अपनी ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही, कपट, अवचार अथवा बेईमानी के कारण बैंक को कोई हानि होती है तो बैंक को वह रकम कर्मचारी की नकद प्रतिभूति से और यदि हानि नकद प्रतिभूति से पूरी न हो तो बाकी रकम उससे व्यक्तिगत रूप से तथा उसकी संपत्ति से वसुल करने का अधिकार होगा।
- (e) It the Bank suffers any loss on account of non-performance of any of the conditions of this agreement or on account of any act or ommission of the employee or any reason of negligence, fraud, misconduct or dishonestly in the discharge of his duties, the Bank shall be entitled to recover the loss from the cash security of the employee and to recover the deficiency, if any, from his personal and other property.

7. करार की अवधि / DURATION OF AGREEMENT :

जब तक कर्मचारी बैंक की नौकरी में रहता है, तक तक यह करार उस पर लागू रहेगा और कर्मचारी के पदनाम, हैसियत, वेतन अथवा उसे सौंपें गये कार्यों और जिम्मेदारियों में किसी भी परिवर्तन का इस करार पर कोई असर नहीं होगा।

This agreement shall remain in force as long as the employee continues in the service of the Bank notwithstanding any change in his designation, Status, salary or the duties and responsibilities entrusted to him.

8. निलम्बन / SUSPENSION :

अवचार के कारण बरखास्तगी पर कर्मचारी निलम्बन अवधि के लिए निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कोई अन्य उपलब्धियां पाने का हकदार नहीं होगा।

The employee on his dismissal from service for misconduct shall not be entitled to any emolument for the period of his suspension except a subsistence allowance.

9. कर्मचारी की निर्योग्यता / DISABILITY OF EMPLOYEE:

किसी भी कारण से सेवा-समाप्त हो जाने पर कर्मचारी किसी भी समय या किसी भी प्रयोजन के लिए अपने नाम या किसी अन्य नाम के साथ बैंक का नाम किसी भी ऐसे तरीके से नहीं जोड़ेगा जिससे यह लगे कि वह बैंक के कारोबार से संबंधित है या रहा है और न ही अपने आपको इस रूप में प्रस्तुत करेगा कि उसका बैंक से इस प्रकार का कोई संबंध है अथवा था और इस करार के अधीन मिले नियोजन के फलस्वरूप अपने कार्य के दौरान अथवा संबंध में बैंक के कारोबार या कार्यकलापों अथवा बैंक के किसी ग्राहक के बारे में जो जानकारी मिली हो उसे अपने हित के लिए अथवा बैंक के अहित अथवा अभिप्रेत या सम्भावित अहित के लिए प्रयोग में नहीं लायेगा।

After the termination of his employment for any reason whatsoever the employee will not at any time or for any purpose, use the name of the Bank in connection with his name or any other name in any way calculated to suggest that he is or has been connected with the Bank business nor in any way hold himself out as having or having had any such connection and will not use any information concerning the Bank or its business or affairs or any customer of the Bank which he may have acquired in the course of or as incident to his employment hereunder for his own benefit or to the detriment or intended or probable detriment of the Bank.

10. किसी भी कारण से सेवा समाप्त कर दी जाने पर कर्मचारी उन सभी वस्तुओं, परिसम्पत्तियों, बैंक की बहियों, चाबियों तथा अन्य ऐसे सामान का पूरा उत्तरदायित्व बैंक को सौंप देगा, जो उसके नियंत्र्या अथवा भारसाधन में हो तथा जो दस्तावेज, कागजात आदि बैंक कर्मचारी के रूप में उसके अधिकार में हों, उन्हें भी वह बैंक को सौंप देगा।

On the termination of his services for whatever cause, the employee shall surrender to the Bank complete charge of all articles, assets, books of the Bank, keys and all other things on which he may have control or be in his charge and shall also surrender documents papers etc., over which he may have any domain while as an employee of the Bank.

11. कर्मचारी का मुख्तारनामा निष्क्रिय हो जायेगा तथा वह उसे रद्द करने के लिए बैंक को सौंप देगा। यदि कर्मचारी इस खण्ड में उल्लिखित किसी भी शर्त की अवहेलना करता है तो बैंक को उसकी प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार होगा।

The Power of Attorney of the employee shall become inoperative and he shall surrender the same to the Bank for cancellation. If the employee commits any default in respect of any of the conditions mentioned in this clause, he shall be liable to forfeit security.

12. यदि कर्मचारी समय-समय पर लागू की अधिनिर्णय/समझौते के अंतर्गत आता है, तो अधिनिर्णय के लागू रहने के दौरान इस करार में दी गई ऐसी कोई भी शर्त कर्मचारी पर बन्धनकारी नहीं होगी जो अधिनिर्णय के उपबन्धों के विरू(हो।

In case the employee is covered by any Award/Settlement in force from time to time, any terms in this agreement against the provisions of such Award shall not be binding on the employee during the operation of the Award. इसके साक्षीस्वरूप निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर

दिये हैं।

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have set their hands in the presence of witness :

साक्षी / WITNESS	कर्मचारी के हस्ताक्षर
1	Signature of Employee
2	कृते पंजाता नैष्टानल तौंक For punjabnational bank
	प्रबंधक

Manager

(विवाद की स्थिति में अंग्रेजी का फार्म मान्य होगा) (In case of any dispute, the English version of the form shall prevail) त्तंज्ञान नैशन्त बैंक भू punjab national bank ...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

पहचान−फार्म IDENTITY-FORM

1.	पूरा नाम				
-	Full Name				
2.	पदनाम				
0	Designation शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यतायें				
3.					
	Academic & Vocational Qualificati		कृपया यहां आवेदक का फोटो		
			लगायेे जिस पर तारीख सहित		
4.	 पिता का नाम तथा व्यवसाय		उसके हस्ताक्षर हों।		
4.	Faher's Name & Occupation		Please paste here signed		
			and dated photograph of the		
5.	जाति/Caste		applicant		
6.	घर का पूरा पता				
0.	Complete Home Address				
7.	वर्तमान पता				
	Present Address				
~					
8.	जन्म तिथि Data af Birth				
0	Date of Birth	मो मी /ama			
9.	कद/Height से.मी./cms.				
10.	पहचान चिन्ह				
	Make of identification				
	(क) रंग / Colour				
	(ख) गठन, पतला, बीच का, भारी				
	Build (Thin, Medium or Heavy)				
	(ग) देखने, बोलने, चाल आदि में विशेषता				
	Any peculiarity in appearance, speech, gait, etc.				
11.	बैंक के किसी कर्मचारी अथवा निदेशक से संबंध (नाम दें तथा देशी भाषा में सम्बन्ध बतायें)				
	Relationship with any employee or Director of the Bank (give names & relationship in				
	vernacular)				
12.	नियुक्ति की तारीख और वेतन				
	Date of Appointment with pay				
13.	हस्ताक्षरित फोटो की तारीख				
	Date of signed photograph				
14.	बायें हाथ के अंगूठे का निशान				
	Left hand thumb impression				
15.	कर्मचारी के हस्ताक्षर				
	Signature of the employee				
16.	कर्मचारी के लघु हस्ताक्षर				
	Initials of the employee				
17.	स्थान				
	Place		साक्ष्यांकित करने वाले अधिकारी		
			के हस्ताक्षर तथा पदनाम		
दिनांव	-	<u>_</u>	IGNATURE AND DESIGNATION OF		
ादनाव DAT		5	THE ATTESTING OFFICER		